

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

संकल्प

विषय :- मुंगेर जिला में वानिकी महाविद्यालय के स्थायी स्थापना के तहत पठन-पाठन कार्य के सुचारु संचालन हेतु विभिन्न कोटि के कुल 204 पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।

कृषि प्रधान राज्य बिहार में कृषि वानिकी एवं काष्ठ आधारित उद्योग के स्थापना की संभावनाओं के दृष्टिपथ में किसानों, विद्यार्थियों, गैर सरकारी संगठन के सदस्यों एवं सरकारी सेवकों को वानिकी के क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है। इस उद्देश्य से मुंगेर जिला में वानिकी महाविद्यालय की स्थापना किये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया। इस महाविद्यालय के संचालन से वानिकी तथा वन उत्पादों के बेहतर उपयोग के लिए आवश्यक शोध कार्य किये जा सकें साथ ही वानिकी क्षेत्र में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की संभावनायें बढ़ेंगी। वानिकी महाविद्यालय में वानिकी संबंधित विषयों के पठन-पाठन से इस क्षेत्र में कार्य-बल विकसित किया जा सकेगा, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। इस महाविद्यालय के संचालन से विद्यार्थियों को वानिकी विषय में शिक्षा की सुविधा राज्य के अन्तर्गत ही प्राप्त हो सकेगी।

2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार के संकल्प संख्या-वन/पर्या.-01/2013-54 (ई.) दिनांक-28.01.2016 द्वारा मुंगेर जिला में वानिकी महाविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया गया है, जिसके भवन का निर्माण बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर की भूमि पर भवन निर्माण विभाग द्वारा कर लिया गया है। इस महाविद्यालय की सम्बद्धता बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर से होगी तथा यह महाविद्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार के नियंत्रणाधीन होगी।

3. उपरोक्त के दृष्टिपथ में स्थायी स्थापना के तहत मुंगेर जिला में अधिष्ठापित वानिकी महाविद्यालय में पठन-पाठन कार्य के सुचारु संचालन हेतु विभिन्न कोटि के कुल 204 पदों के सृजन के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक- 27.01.2023 को मद संख्या-18 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है, जिसकी कोटिवार/पदवार विवरणी निम्नवत् है:-

| (A) शैक्षणिक पद | | | |
|------------------------|-------------------------|---|----------------|
| क्र० | पदनाम | वेतन स्तर | पदों की संख्या |
| 1. | प्रोफेसर (डीन) | वेतन स्तर-14 | 01 |
| 2. | प्रोफेसर | वेतन स्तर-14 | 12 |
| 3. | एशोसिएट प्रोफेसर | वेतन स्तर-13ए | 24 |
| 4. | असिस्टेंट प्रोफेसर | वेतन स्तर-10 | 36 |
| 5. | असिस्टेंट लाईब्रेरियन | वित्त विभाग की सहमति के उपरांत निर्धारित किया जायेगा। | 01 |
| कुल पद | | | 74 |
| (B) गैर शैक्षणिक पद :- | | | |
| क्र० | पदनाम | वेतन स्तर | पदों की संख्या |
| 01. | असिस्टेंट कम्प्यूट्रोलर | वेतन स्तर-09 | 01 |
| 02. | असिस्टेंट रजिस्ट्रार | वेतन स्तर-09 | 01 |
| 03. | फार्म मनेजर | वेतन स्तर-06 | 08 |
| 04. | टेक्निकल असिस्टेंट | वेतन स्तर-07 | 20 |
| 05. | निम्नवर्गीय लिपिक | वेतन स्तर-02 | 12 |
| 06. | उच्च वर्गीय लिपिक | वेतन स्तर-04 | 06 |
| 07. | प्रधान लिपिक | वेतन स्तर-06 | 02 |
| 08. | ऑफिस सुप्रीटेंडेंट | वेतन स्तर-07 | 01 |
| 09. | स्टोनोग्राफर | वेतन स्तर-04 | 10 |
| 10. | पर्सनल असिस्टेंट | वेतन स्तर-06 | 02 |

| | | | |
|--|------------------------------|---|-----|
| 07 | प्रधान लिपिक | वेतन स्तर-06 | 02 |
| 08 | ऑफिस सुप्रीटेंडेंट | वेतन स्तर-07 | 01 |
| 09 | स्टोनोग्राफर | वेतन स्तर-04 | 10 |
| 10 | पर्सनल असिस्टेंट | वेतन स्तर-06 | 02 |
| 11 | फोटोग्राफर एण्ड विडियोग्राफर | वेतन स्तर-06 | 01 |
| 12 | फिल्ड ऑवरसियर | वित्त विभाग की सहमति के उपरांत निर्धारित किया जायेगा। | 10 |
| 13 | लैब असिस्टेंट | | 20 |
| 14 | फॉरेस्ट सुपरवाइजर | | 10 |
| 15 | फॉरेस्टर | वेतन स्तर-05 | 06 |
| 16 | लैब अटेंडेंट | वेतन स्तर-01 | 20 |
| | कुल पद | | 130 |
| कुल (A) शैक्षणिक पद 74 + (B) गैर शैक्षणिक पद 130 = 204 पद | | | |

4. उपर्युक्त प्रस्तावित पदसृजन के फलस्वरूप सशर्त चार पदों (यथा-असिस्टेंट लाइब्रेरियन, फिल्ड ऑवरसियर, लैब असिस्टेंट एवं फॉरेस्ट सुपरवाइजर) को छोड़कर शेष पदों के लिए कुल वार्षिक व्यय भार ₹ 175020720/- (सतरह करोड़ पचास लाख बीस हजार सात सौ बीस रुपये मात्र) के अनुमानित है।

5. इन पदों के कार्य दायित्व तथा इनके नियंत्री पदाधिकारियों का निर्धारण बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर द्वारा निर्गत निदेश के अनुरूप होगा। वानिकी महाविद्यालय, मुंगेर, बिहार कृषि विश्वविद्यालय के निदेशों के अनुरूप संचालित किया जायेगा। इसमें संचालित पाठ्यक्रमों यथा स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, Short Term Course इत्यादि ICAR द्वारा अनुमोदित होंगे। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार के द्वारा बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर के माध्यम से इस महाविद्यालय को निधि उपलब्ध कराया जायेगा।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


ह0/-

(ओम प्रकाश यादव) भा.प्र.से.

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-वन पर्या.-01/2013 (खण्ड) 474/प0व0 पटना-15, दिनांक-.../07/2023

प्रतिलिपि - महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/अवर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, पर्यावरण एवं वन विभाग (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(ओम प्रकाश यादव) भा.प्र.से.

सरकार के विशेष सचिव